

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ (छोगो)

दूरभाष/ फैंक्स - 07762-222290, Email - deo-raigarh.cg@nic.in

क्रमांक/ 418/निर्वा.स्था./भर्ती/2023

रायगढ़ दिनांक 24 मई 2023

:: विज्ञापन ::

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक 241/स्था./वि.स.नि./2023/1651 रायपुर दिनांक 11.05.2023 के द्वारा जिले के निर्वाचन कार्यालय एवं विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) कार्यालयों हेतु 05 पद सहायक ग्रेड-3 (संविदा) एवं 06 पद भृत्य (कलेक्टर दर) दिनांक 01/06/2023 से 30/11/2023 तक कुल 06 माह के लिये स्वीकृती प्रदान करने के फलस्वरूप रिक्त संविदा/ कलेक्टर दर पदों हेतु जिले के आरक्षण रोस्टर अनुसार दिनांक 05/06/2023 को स्थान- कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.) में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :-

पंजीयन हेतु निर्धारित समय / दिनांक :- 05/06/2023 को प्रातः 10:30 से 05:00 बजे तक

1. सहायक ग्रेड-3 (संविदा) :- दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (छः माह) के लिये

क्र.	श्रेणी / वर्ग	श्रेणी /वर्गवार पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्वक सैनिक	
1	अनारक्षित	1	1	-	-	2
2	अनुसूचित जाति	1	-	-	-	1
3	अनुसूचित जनजाति	0	0	1	-	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	-	-	-	1
	योग -	3	1	1	-	5

2. भृत्य (कलेक्टर दर) :- दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक (छः माह) के लिये

क्र.	श्रेणी / वर्ग	श्रेणी /वर्गवार पद संख्या				योग
		मुक्त	महिला	निःशक्तजन	भूतपूर्वक सैनिक	
1	अनारक्षित	1	1	-	-	2
2	अनुसूचित जाति	1	-	-	-	1
3	अनुसूचित जनजाति	1	-	1	-	2
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	-	-	-	1
	योग -	4	1	1	-	6

शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान :-

1. सहायक ग्रेड-3 पद हेतु -

(अ) वेतनमान - संविदा वेतन 14,200/- रुपये एक मुश्त

(ब) शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातकपाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र तथा

3. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् प्रमाण पत्र तथा

4. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

2. भृत्य पद हेतु -

(अ) वेतनमान - कलेक्टर दर

(ब) शैक्षणिक योग्यता - पांचवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण

A. आवेदन पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश :-

I. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र पर 1. पासपोर्ट आकार का स्व-प्रमाणित फोटो चस्पा करना तथा आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना होगा :-

1. आयु संबंधी प्रमाण पत्र या दसवीं की अंक सूची।

2. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, संबंधित डिग्री/ डिप्लोमा, (समस्त वर्षों की अंकसूची)

4. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।

5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

6. मूल निवास प्रमाण पत्र।

7. कम्प्यूटर सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र

8. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् प्रमाण पत्र

9. अन्य

II. उक्त पद में पंजीयन के समय आवेदक मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां एवं पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र अनिवार्यतः अपने साथ लेकर आवें।

- III. उक्त पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि दिनांक 05.06.2023 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:00 बजे के बीच में उपस्थित होकर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। सायं 05:00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- IV. प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग/जांच कर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की दावा आपत्ति सूची पदवार सूचना पटल पर दिनांक 08.06.2023 को चस्पा किया जावेगा तथा मेरिट आधार पर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को आगामी तिथि को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने आहूत किया जायेगा, जिसकी सूची एवं सूचना जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में दिनांक 12.06.2023 को अपलोड कर दी जावेगी साथ ही कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा। पृथक से पत्राचार नहीं किया जावेगा।
- V. आवेदन पत्रों की जांच/स्क्रीनिंग उपरांत आवेदित पद सहायक ग्रेड-3 हेतु पात्र अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के मेरिट के आधार पर 1 पद के विरुद्ध 05 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थित होने हेतु मेरिट सूची, सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा तथा अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का 60 प्रतिशत, कौशल परीक्षा का 30 प्रतिशत तथा निर्वाचन कार्य संबंधी अनुभव का अधिकतम 10 अंक (एक अनुभव प्रमाण पत्र का 5 अंक, एक से अधिक अनुभव प्रमाण पत्र का 10 अंक) कुल 100 अंक के आधार पर वरीयता सूची बनाई जावेगी।
- VI. कार्य अनुभव के संबंध में निर्वाचन कार्य का अनुभव मात्र मान्य होगा तथा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- VII. वरीयता सूची में मेरिट क्रम आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची कार्यालयीन सूचना पटल एवं रायगढ़ जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में दिनांक 15.06.2023 को उपलब्ध कराई जावेगी।
- VIII. अभ्यर्थियों को आवेदित पदों के पंजीयन हेतु उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- IX. आवेदक को छ0ग0 का मूल नियासी होना चाहिए।
- X. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे।
- XI. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
- XII. आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में निर्धारित तिथि परिवर्तनीय है।
- XIII. डाक या कुरियर के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

B. चयन प्रक्रिया :-

1. सहायक ग्रेड-3 पद हेतु -

कुल 100 प्रतिशत में से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का अधिभार (वेटेज) 60 प्रतिशत, कौशल परीक्षा का अधिभार (वेटेज) 30 प्रतिशत एवं निर्वाचन संबंधी कार्य अनुभव का अधिकतम 10 अंक (एक अनुभव प्रमाण पत्र का 5 अंक, एक से अधिक अनुभव

प्रमाण पत्र का 10 अंक) होगा। शैक्षणिक अर्हता, कार्य अनुभव एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

2. भृत्य पद हेतु -

कुल 100 प्रतिशत में से अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का अधिभार (वेटेज) 90 प्रतिशत, एवं निर्वाचन संबंधी कार्य अनुभव का अधिकतम 10 अंक (एक अनुभव प्रमाण पत्र का 5 अंक, एक से अधिक अनुभव प्रमाण पत्र का 10 अंक) होगा। शैक्षणिक अर्हता एवं कार्य अनुभव के अंको के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

यदि किसी आवेदक को पांचवीं कक्षा की अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का ग्रेडिंग चार्ट पूर्णांक पर ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जायेगा।

यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के कक्षा 5वीं का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में आयु में जो उम्मीदवार वरिष्ठ होगा, वह चयन हेतु पात्र होगा।

शैक्षणिक अर्हता, कार्य अनुभव एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के योग के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट सूची के आधार पर वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा।

C. भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश :-

1. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग, महिला एवं संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
2. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर स्कीनिंग के लिये कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना, अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जा सकेगा अथवा चयन समिति समस्त योग्य अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा लेने हेतु स्व-निर्णय लेने स्वतंत्र होंगे।
3. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाए जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
4. संविदा मानदेय /कलेक्टर दर :- संविदा/ सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा तथा कलेक्टर दर जिले में निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

5. उपरोक्त संविदा अवधि 01.06.2023 से 30.11.2023 (केवल छः माह) अथवा नियुक्ति दिनांक से 30.11.2023 तक के लिए होगी। उसके पश्चात् यह पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
6. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जावेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त संविदा पद अस्थानान्तरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
9. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किए जायेंगे।
10. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
11. उक्त पद के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इस प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
12. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
13. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।
14. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा, जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
15. विज्ञापन एवं अन्य विवरण जिले के वेबसाइट www.raigarh.gov.in पर उपलब्ध है।

Taran
कलेक्टर एवं

जिला निर्वाचन अधिकारी

रायगढ़ (छ.ग.)